

राजस्थान सरकार  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, राजमहल रेजीडेंसी एरिया, सिविल लाईन रेल्वे फाटक के पास, जयपुर 302005

क्रमांक एफ 1(7)(22)डीपीसी/सान्याअवि/2021/ 53

जयपुर, दिनांक 05/04/21

—:: आदेश ::—

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 एवं संशोधन नियम 2017 के अन्तर्गत विभागीय पदोन्नति समिति की आयोजित बैठक दिनांक 10.03.2021 की अनुशंषा के आधार पर निम्नलिखित कार्मिकों को कनिष्ठ सहायक(L-5) से वरिष्ठ सहायक (L-8) के पद पर पदोन्नति वर्ष 2017-18, 2018-19 व 2019-20 की रिक्तियों के विरुद्ध उनके नाम के सम्मुख अंकित वर्ष/दिनांक से पदोन्नति प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	नाम	श्रेणी	पदोन्नति वर्ष/दिनांक	वि.वि.
1.	श्री सरफाज आलम	सामान्य	वर्ष 2017-18 दि. 01.04.2017	सील कवर
2.	श्री संदीप कुमार खगार	एस.सी.	वर्ष 2017-18 दि. 01.04.2017	सील कवर
3.	श्री कपिल कुमार	सामान्य	वर्ष 2017-18 दि. 01.04.2017	-
4.	श्री अंकित कुमार	सामान्य	वर्ष 2017-18 दि. 01.04.2017	-
5.	श्री अनिल कुमार सैनी	सामान्य	वर्ष 2018-19 दि. 01.04.2018	-
6.	श्री दीपक कुमार सैन	सामान्य	वर्ष 2018-19 दि. 01.04.2018	-
7.	श्री अमर दीप सिंह	सामान्य	वर्ष 2018-19 दि. 01.04.2018	-

कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु दिनांक 21.12.2020 को वर्ष 2017-18, 2018-19 व 2019-20 के लिए आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक कार्यवाही विवरण में की गयी अनुशंषा में कार्मिकों के सेवामिलेख पूर्ण नहीं होने के कारण पदोन्नति से डेफर किये गये निम्नानुसार कार्मिकों के सेवामिलेख पूर्ण हो जाने के कारण पदोन्नति प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	नाम	श्रेणी	पदोन्नति वर्ष/दिनांक	वि.वि.
1.	श्री विष्णु कुमार	सामान्य	वर्ष 2017-18 दि. 01.04.2017	-
2.	श्री अत्येन्द्र सिंह यादव	सामान्य	वर्ष 2017-18 दि. 01.04.2017	-
3.	श्री लक्ष्मण चन्द	एस.सी.	वर्ष 2018-19 दि. 01.04.2018	-
4.	श्री मीर मोहम्मद	सामान्य	वर्ष 2018-19 दि. 01.04.2018	-
5.	श्री नरेन्द्र कुमार	सामान्य	वर्ष 2018-19 दि. 01.04.2018	-
6.	श्री पृथ्वी सिंह	सामान्य	वर्ष 2018-19 दि. 01.04.2018	-
7.	श्री चूतराराम	एस.सी.	वर्ष 2018-19 दि. 01.04.2018	-
8.	श्री नितिन कुमार	सामान्य	वर्ष 2018-19 दि. 01.04.2018	-
9.	श्री लाखन सिंह	सामान्य	वर्ष 2018-19 दि. 01.04.2018	-
10.	श्री गौरैलाल	सामान्य	वर्ष 2019-20 दि. 01.04.2019	-

निम्न के द्वारा अभिलेख पूर्ण नहीं किये जाने के कारण अभिलेख पूर्ति होने तक पदोन्नति से डेफर किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम	श्रेणी	पदोन्नति वर्ष / दिनांक	वि.वि.
1.	श्री हेमन्त शर्मा	सामान्य	वर्ष 2017-18 दि. 01.04.2017	वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन वर्ष ... से 2013-14 से 2019-20 अप्राप्त
2.	श्री सुमेर सिंह रावत	सामान्य	वर्ष 2018-19 दि. 01.04.2018	वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन वर्ष ... से 2014-15 से 2017-18 अप्राप्त

3.	श्री क्षितिज सिंह सिकरवार	सामान्य वर्ष	2018-19 दि. 01.04.2018	वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन वर्ष ... से 2014-15 से 2017-18 अप्राप्त
----	------------------------------	--------------	---------------------------	--

उपरोक्तानुसार पदोन्नत कार्मिकों के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।




(ओपीओ बुनकर)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक एफ 1(7)(22)डीपीसी/सान्याअवि/2020/ पार्ट-III/ 54-153 जयपुर, दिनांक : 05/04/21  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/बाल अधिकारिता/विशेष योग्यजन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. सिस्टम एनालिस्ट(संयुक्त निदेशक) को वेबसाईट पर संधारित किये जाने हेतु।
5. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, .....
6. प्रशासनिक अधिकारी(संस्थापन)/लेखाकार भुगतान प्रशाखा, मुख्यावास।
7. प्रभारी, संस्थापन प्रशाखा (पी-3), मुख्यावास को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. संबंधित कार्मिक श्री/श्रीमती.....।
9. व्यक्तिगत पत्रावली श्री/श्रीमती .....
10. आदेश पत्रावली।



(द्वारका प्रसाद गुप्ता)

अतिरिक्त निदेशक(सतर्कता एवं प्रशासन)